म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला शहडोल में सूचना का अधिकार नियम 2005 के 17 बिन्दुओं की जानकारी

बिन्दु क्रमांक – 1. जिला स्तरीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की संरचना कार्य एवं कर्तव्य

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग के जिला प्रमुख होते हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम श्रेणी के अधिकारी है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जिला स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला कुष्ठ अधिकारी, जिला क्षय अधिकारी, जिला प्रशिक्षण अधिकारी, प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के पद है तथा एम.ई आई.ओ प्राचार्य बहु. स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, डी.पी.एच.एन. द्वितीय श्रेणी , राजपत्रित अधिकारी के पद है, विकासखण्ड स्तर खण्ड चिकित्सा अधिकारी, ग्रामीण प्राथमिक स्वा. केन्द्रों में मेडिकल आफीसर द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारी एवं इनके अधीन स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पैरामेडिकल स्टाफ कर्मचारी रहते है ।

म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग रोगियों का उपचार, महामारी की रोकथाम तथा जन सामान्य को स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा तथा शासन द्वारा चलायी जा रही स्वास्थ्य योजनाओं एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन करना साथ ही निरीक्षण पर्यवेक्षण कर लक्ष्यों की प्राप्ति करने का प्रयास करना है।

बिन्दु क्रमांक – 2. जिला स्तरीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकाकरण, जिला क्षय अधिकारी, जिला कुष्ठ अधिकारी, का कार्य जन सामान्य को चिकित्सा सुविधा स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सालयों को प्रबंधन एवं विभागीय निर्देशों एवं नियम तथा विभाग से प्राप्त आदेश /निर्देश के अनुरूप स्वास्थ्य गतिविधियों का संचालन करना है तथा स्वास्थ्य जनमानस को तैयार करना है ।

बिन्दु क्रमांक – 3. जिला स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निर्णय,विधि एवं पर्यावरण तथा जबावदेही–

शासन के दिशा –निर्देश नियमों के अनुरूप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर खण्ड अधिकारी स्तर तक विषय बस्तु के अनुरूप निर्णय लेने और अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासनिक एवं वित्तीय गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिये जिम्मेदार है ।

बिन्दु क्रमांक – 4. स्वास्थ्य विभाग में कार्य निष्पादन करने की निर्धारित पद्यति –

म.प्र. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मापदण्ड एवं चिकित्सा संहिता में दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक – 5. जिला स्तर के कर्मचारियेां को कार्य निष्पादन के लिये नियम, विनियम, निर्देश एवं संहिता तथा अभिलेख –

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की समस्त सेवाएँ म.प्र. सिविल सेवा नियम1961 तथा म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भर्ती नियम 1979 द्वारा नियंत्रित होते हैं, तथा समस्त कर्मचारी म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का पालन करते हुये चिकित्सा संहिता में दिये गये निहित निर्देशों के अनुसार कार्य सम्पांदित करते हैं ।

बिन्दु क्रमांक – 6. जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नियंत्रण में श्रेणीवार दस्तावेज –

जिला चिकित्सालय की सूची, एवं निजी पंजीकृत नर्सिंग होम के संचालन करने के नियम एवं निर्देश तथा स्वास्थ्य गतिविधियॉ संचालन हेतु नियम निर्देश है ।

बिन्दु क्रमांक – 7. जिलान्तर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में समन्वय हेतु, यदि कोई व्यवस्था या जन सदस्यों से सम्पादित नीतियों का निर्धारण यदि कोई है तो –

जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं विकास खण्ड पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय लोक सूचना केन्द्र हेतु स्थापित है ।

बिन्दु क्रमांक – 8. बोर्ड काउंसिल कमेटी अन्य कोई संस्था जिसमें दो या दो अधिक व्यक्ति संवैधा– निक रूप से उसके किसी भाग या किसी उद्देश्य के लिये सलाह जिसमें कि उन बोर्ड काउसिंल कमेटी या अन्य कोई संस्था के लिये जन समस्या के लिये खुला हो या जन समस्या के लिये मीटिंग या बैठक भी कार्यवाही विवरण से अवगत कराया जा सके –

जिला स्तर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कोई बोर्ड या काउसिंल कमेटी स्थापित नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक – 9. जिला स्तर पर कार्यरत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अधिकारी एवं कर्मचारियों की नामावली –

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल के कार्यालय में विभाग के समस्त कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नामावली की कम्प्यूटराइज जानकारी उपलब्ध है ।

बिन्दु क्रमांक – 10. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जिलान्तर्गत अधिकारी गतिविधियों **/कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले मासिक पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति विनमयन –**

जिला कोषालय शहडोल में स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत समस्त अधिकारियों /कर्मचारियों की मासिक पारिश्रमिक की जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

बिन्दु क्रमांक – 11. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जिलान्तर्गत कार्यरत अधिकारी /कर्मचारियों को प्राप्त होने बजट आवंटन एवं सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय एवं संवितरण रिपोर्ट के लिये एंजेन्सी –

विभाग को आयोजना एवं आयोजनेत्तर के अन्तर्गत बजट संचालनालय स्तर से प्राप्त होता है । जिसका विस्तृत विवरण जिला कोषालय में देखा जा सकता है ।

बिन्दु क्रमांक –12. किसी कार्यक्रम के संचालन के लिये प्राप्त अनुदान बजट आवंटन और कार्यक्रम वार हितग्राहियों का विवरण –

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर पर कार्यक्रम के लिये वजट आवंटन प्राप्त नहीं होता है । जिला अन्धत्व निवारण समिति एवं पुर्नरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम विश्व बैंक सहायतित अनुदान से संचालित है जिनका विवरण निम्नानुसार है ।

क्र.	विवरण	प्राप्त आवंटन वर्ष 07–08	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	जिला अंधत्व निवारण समिति शहडोल	रू.– 5 लाख	1730 लेन्स प्रत्यारोपण
2	पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम	रू. – 1312229	1764 क्षय रोगी लाभान्वित

बिन्दु क्रमांक – 13. अधिकारिक स्वीकृत एवं परिशिष्ट या छूट से प्राप्तियॉ का विवरण –

प्राप्तियॉ नहीं होती है ।

बिन्दु क्रमांक – 14. स्वास्थ्य विभाग की इलेक्ट्रानिक प्रकार से संबंधित फार्म में उपलब्ध जानकारी एवं सूचना का विवरण –

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत समस्त कर्मचारियों का डाटावेस (सम्पूर्ण बायोडाटा) जिला कोषालय में उपलब्ध है ।

बिन्दु क्रमांक – 15. नागरिकों के लिये सूचना प्राप्ति की सुविधाऍ जिसमें लाइब्रेरी या रीडिंग रूम कार्यवधि का विवरण यदि हो तो –

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सूचना का अधिकार लागू हैं । जिसमें निर्धारित शुल्क लेकर वांछित जानकारियॉ प्राप्त की जा सकती है । जिसमें गरीवी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों से शुल्क नहीं लिया जायेगा । विभाग द्वारा कोई लाइब्रेरी या रीडिंग रूम संचालित नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक – 16. लोक सूचना अधिकारी के नाम एवं पद अन्य विवरण –

क्र.	नाम	पद	पदस्थापना	दूरभाष
1	डॉ उमेश नामदेव	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	शहडोल	07652–245256
2	डॉ आर.एस.पाण्डेय	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	ब्यौहारी	07650262263
3	डॉ. एस.के गर्ग	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	जयसिंहनगर	07651–221270
4	डॉ. आर.के शुक्ला	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	गोहपारू	07656–266325
5	डॉ. योगेन्द्र पासवान	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	सिंहपुर	98260–80368
6	डॉ. के.के गौतम	खण्ड चिकित्सा अधिकारी	बुढ़ार	07650–257797

बिन्दु क्रमांक – 17. अन्य कोई सूचना जो निर्धारित की जा सकती है या उसके बाद प्रति वर्ष अद्यतन की गई जानकारी –

लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा समस्त जानकारी अद्यतन कर प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल म.प्र.

क्र/ सूचना के अधिकार. /2008/ शहडोल दिनांक /06/08

प्रति,

कलेक्टर,
शहडोल म.प्र.

विषय :– **सूचना के अधिकार नियम 2005 के तहत 17 विन्दुओं की जानकारी ।**

–00–

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 16/6/08 को आयोजित समय सीमा की बैठक में दिये गये निर्देश के पालन में सूचना के अधिकार नियम 2005 से सबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारी हार्डकॉपी सी.डी. सहित आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है ।

संलग्न :– सी.डी. एवं हार्ड कॉपी

(डॉ. उमेश नामदेव)
मुख्य चिकित्सा एंव स्वा.अधिकारी
जिला –शहडोल (म.प्र.)